The Uttar Pradesh Jal-Sambharan Tatha Sewer Vyavasth (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978

Act 28 of 1978

Keyword(s):
Drain, Drainage, Executive Engineer, Licenced Plumber, Occupier, Service Pipe, Sewage, Sewer, Street, Supply Pipe, Trade Effluent, Trade Refuse, Trunk Main, Water Course, Water Fittings

उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1978]

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 सितम्बर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खण्ड (क) में दिनांक 18 सितम्बर, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 31 अगस्त, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 9 सितम्बर, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।]

उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

Price 25 Paise

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) यह 1 अगस्त, 1978 को प्रवृत्त समझा जायगा।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 24 अगस्त, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 3-खण्ड (क) देखिये।]

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43, सन् 1975 की धारा 1 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(3) इसे 18 जून, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा ।"

धारा 4 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 4 में--

(एक) उपधारा (2) में, खंड (छ) में, शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "पांच" रख दिया जायगा ;

(दो) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(4) निगम की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय बैठक में उपस्थित होने के लिए, उपधारा (2) के खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में उप सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को, उक्त उपधारा के खंड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में उप निदेशक से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को और उक्त उपधारा के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में संयुक्त निदेशक से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को, प्रतिनियुक्त कर सकता है । इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकारी होगा ।"

धारा 18 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (3) में, शब्द "जल संस्थान" के पश्चात् की शब्द "जो धारा 20 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट जल संस्थान न हो," रख दिये जायेंगे ।

धारा 19 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

5--मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

जल संस्थान के रूप में जल निगम

"19--राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों और जिनके लिए धारा 18 के अधीन कोई जल संस्थान स्थापित न किया गया हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जल संस्थान की सभी या किन्हीं शक्तियों, कर्त्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन जल निगम द्वारा किया जायेगा और तदुपरान्त ऐसी शक्तियों, कर्त्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ जल निगम को जल संस्थान समझा जायगा और ऐसी अधिसूचना के दिनांक को जल संस्थान के गठन का दिनांक समझा जायेगा ।"

धारा 20 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

6--मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

जल संस्थान का गठन

"20--(1) नगर महापालिका के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता के लिए गठित जल-संस्थान में एक अध्यक्ष, जो नगर महापालिका का नगर प्रमुख (पदेन) होगा, और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्:--

(क) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा, जो प्रशासकीय अनुभव और जल-संभरण और सीवर व्यवस्था संबंधी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियंता होगा;

(ख) स्वास्थ्य सेवा का एक संयुक्त निदेशक, जिसे स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा;

(ग) नगर महापालिका के तीन सभासद, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा;

(घ) निगम के दो प्रतिनिधि;

(ङ) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश;

(च) नगर महापालिका के मुख्य नगर अधिकारी ।

(2) म्युनिसिपल बोर्ड के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए गठित जल संस्थान में एक अध्यक्ष जो म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट (पदेन) होगा, और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा, जो प्रशासकीय अनुभव और जल-सम्भरण और सीवर व्यवस्था संबंधी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियंता होगा;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ कोई अधिकारी, जिसे जिला-मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(ग) निगम के दो प्रतिनिधि;

(घ) उस जिले का, जहां जिले का प्रधान कार्यालय स्थित हो, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य);

(ङ) एक अधिकारी, जिसे स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(च) म्युनिसिपल बोर्ड के दो निर्वाचित सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

(3) किसी अन्य जल-संस्थान में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) उस जिले का, जहां जल-संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित हो, कलेक्टर, पदेन;

(ख) सामुदायिक विकास विभाग का ज्येष्ठतम अधिकारी जिसका मुख्यालय जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत हो;

(ग) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा जो प्रशासकीय अनुभव और जल-संभरण और सीवर व्यवस्था संबंधी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियंता होगा;

(घ) निगम के दो प्रतिनिधि;

(ङ) जल संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक जिले के स्थानीय निकायों के निर्वाचित अध्यक्षों या सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां जल-संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले जिलों की संख्या पांच से कम है वहां ऐसे नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या पांच होगी जिनमें से प्रत्येक जिले से कम से कम एक व्यक्ति होगा;

(च) उस जिले का, जहां जल-संस्थान का मुख्यालय स्थित हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी।"

धारा 25 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (2) में, खंड (6) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि टैरिफ लगाने या उसमें संशोधन करने का विनिश्चय नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसी नोटिस, जो विहित की जाय, देने के पश्चात् लाये गये विशेष प्रस्ताव को जल-संस्थान की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई के बहुमत से पारित न कर दिया गया हो।"

धारा 49 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 49 में,—

(एक) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(2-क) यदि किसी समय राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि किसी जल-संस्थान या स्थानीय निकाय ने, यथास्थिति, जल-सम्भरण या सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं या दोनों का कुप्रबन्ध किया है, या उसकी सम्पत्ति को हानि पहुंचायी है तो वह, जल-संस्थान या स्थानीय निकाय को स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा उस जल-संस्थान या स्थानीय निकाय की जल-संभरण या सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवाओं का अन्तरण सीधे निगम को कर सकती है, और ऐसा आदेश तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रभावी होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अपने मूल आदेश के कार्यान्वियन की अवाध को समय-समय पर आदेश द्वारा इस प्रकार बढ़ा सकती है कि ऐसी वृद्धि की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक न हो।"

(दो) उपधारा (3) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1) के उपबन्धों" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "उपधारा (2) या उपधारा (2-क) के उपबन्धों" रख दिये जायेंगे।

(तीन) उपधारा (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (2) के अधीन" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "उपधारा (2) या उपधारा (2-क) के अधीन" रख दिये जायेंगे ।

धारा 99 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 99 में—

(क) उपधारा (2) में शब्द और अंक "15 अगस्त, 1976" के स्थान पर शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1978" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायगी ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

10—जहां जल संस्थान की शक्तियां मूल अधिनियम की धारा 19 के, जैसी कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व थीं अधीन नगर महापालिका को प्रदत्त कर दी गयी हों, वहां महापालिका इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये किसी संशोधन के होते हुए भी, ऐसी शक्तियों का तब तक प्रयोग करती रहेगी जब तक कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसी नगर महापालिका के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता वाले जल संस्थान का गठन न कर दिया जाय ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17, सन् 1978

11—(1) उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 405 सा० (विधा०)—5—3—79—(3975)—1979—1824+50SS (मेक०)।